न्यायालय, अपर समाहर्ता,रॉची।

एस ए आर अपील 51 आर 15/07–08

सुमित्रा देवी अपीलकर्ता

बनाम

पवन कच्छप वगैरह प्रतिवादी

.....

आदेश

18/21.07.2008 यह अपील एस ए आर वाद संख्या 179/05–06 में श्री देवनास किरो, विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा दिनांक 5.9.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का निर्णय लिया है।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा
हेसल	12	888	5 कट्ठा

अपील आवेदन में बताया गया है कि विवादित जमीन खतियान में भुक्का उरॉव के नाम दर्ज है जो प्रतिवादी के दादा थे। अपीलकर्ता ने यह जमीन प्रतिवादी के पिता से बर्ष 1974 में बिक्री द्वारा लिया है। उसी समय से विवादित जमीन पर अपीलकर्ता का पक्का मकान बना हुआ है तथा अब यह जमीन कृषि कार्य के लिए व्यवहृत नहीं होता है। अपील आवेदन में यह दावा किया गया है कि इस मामले में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है तथा यह मामला धारा 71 ए के अंतर्गत संधारणीय नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस वाद में लिखित बहस दाखिल किया गया है। अपीलकर्ता लिखित बहस में प्रायः अपील आवेदन के तथ्यों का ही समावेश है। पुनः यह दावा किया गया है कि अपीलकर्ता ने विवादित जमीन प्रतिवादी के पिता से 1974 में खरीदा है तथा इस मामले में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रतिवादी के लिखित बहस में बताया गया है कि खतियानी रैयत बुका उरॉव के एकमात्र पुत्र सुनील कच्छप थे तथा सुनील कच्छप के एकमात्र पुत्र वर्तमान प्रतिवादी

पवन कच्छप हैं। अपीलकर्ता का दावा बिल्कुल निराधार है। वास्तव में उसने प्रतिवादी के जमीन को बलपूर्वक हड़प लिया है। वर्ष 1974 में प्रतिवादी के पिता द्वारा किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किया गया है। निम्न न्यायालय में अपीलकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया था परन्तु उनके द्वारा कोई रुचि नहीं ली गयी। विवादित जमीन पर अपीलकर्ता के मकान बने होने का कोई प्रमाण नहीं है। अपीलकर्ता ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन किया है। विवादित जमीन का लगान रसीद भी प्रतिवादी के नाम निर्गत होता है।

इस वाद से सम्बन्धित कागजातों को देखने से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता 1974 से तकरारी जमीन पर दावा कर रहे हैं लेकिन हस्तांतरण के प्रकार पर मौन हैं। भूमि हस्तांतरण का कोई भी दस्तावेज प्रथम पक्ष के पास उपलब्ध नहीं है जिससे 1974 में उनके कब्जे में आने की बात गलत प्रतीत होती है।

वैधिक दृष्टिकोण से देखने पर भी अपीलकर्ता के द्वारा भूमि पर कब्जे का दावा अवैध और अनियमित लगता है। भूमि हस्तांतरण में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की संगत धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। बिना सक्षम पदाधिकारी की अनूमति के इस प्रकार का हस्तांतरण गलत है।

इस तरह उपरोक्त विवेचन से निष्कर्ष निकलता है कि अपीलकर्ता ने अवैध रुप से आदिवासी भूमि पर कब्जा कर लिया है और वे अब इसे विनियमित कराना चाहते हैं। निम्न न्यायालय का आदेश सही है। अंचल अधिकारी, रॉची शहर पन्द्रह दिनों के अंदर प्रतिवादी को प्रश्नगत भूमि पर कब्जा दिला देंगं। अपील अस्वीकृत किया जाता है।

दिनांक :– 21.07.2008

लेखापित एवं संशोधित।
ह0/–
अपर समाहर्ता,
रॉची।